बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, , वेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, वेबसाईट : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 10/11/2025

अधिसूचना

संख्या–नि॰ प्रा॰/ नि॰ 1–20/2024 2980 प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 2009 दिनांक 20.06.2025 द्वारा **नरैना पैक्स, प्रखंड- चेनारी, जिला- रोहतास** के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। मतदाता सूची पर विवाद के कारण प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 2284 दिनांक 23.07.2025 द्वारा उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम अगले आदेश तक स्थगित किया गया था। मतदाता सूची विवाद के जांचोपरांत प्राधिकार के आदेश संख्या- 2909 दिनांक 24.10.2025 द्वारा नरैना पैक्स का निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन के स्तर से निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अत: उक्त आलोक में **नरैना पैक्स** के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या-2009 दिनांक 20.06.2025 के क्रम में स्थगन के स्तर से निम्नवत् निर्धारित किया जाता है-

(i)	निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखते हुए संशोधित कार्यक्रम का निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रकाशन	17.11.2025 (सोमवार)
(ii)	मतदान	24.11.2025 (सोमवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(iii)	मतगणना	24.11.2025 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(iv)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	26.11.2025 (बुधवार)

3. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में **नरैना पैक्स** के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय-3 की कंडिका- (1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी, चेनारी इसका अनुपालन प्रतिवेदन **दिनांक 20.11.2025 तक** उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. **मतदान केन्द्र पैक्स गोदाम/ कार्यालय से अलग किसी सरकारी भवन में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 2232 दिनांक 12.12.2024 में दिये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।**

5. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र- ई॰18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे। इसके लिए अधिसूचना संख्या- 2009 दिनांक 26.06.2025 के परिशिष्ट-1 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

6. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 26.11.2025 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से

संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134-142 पर देखा जा सकता है।

7. अधिसूचना संख्या- 2009. दिनांक 20.06.2025 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

10/11/25

(कयूम अंसारी)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2980 पटना/ दिनांक 10/11/2025

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

10/11/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2980 पटना/ दिनांक 10/11/2025

प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), रोहतास/ पुलिस अधीक्षक, रोहतास/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स॰स॰), रोहतास/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), चेनारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2980 पटना/ दिनांक 10/11/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2980 पटना/ दिनांक 10/11/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 2980 /पटना, दिनांक 10/11/2025

प्रतिलिपि: श्री मुकेश कुमार ठाकुर, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2980 पटना/ दिनांक 10/11/2025

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वेबसाईट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

10/11/25

संयुक्त सचिव।